

1
न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़
Pre-emption Appeal No.-02/2020-21

अरुण कुमार भगत
बनाम
मोतिउर रहमान एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
12.04.2023	<u>आदेश</u> यह अपीलवाद, अपीलकर्ता अरुण कुमार भगत, पिता-स्व० द्वारिका प्रसाद भगत, सा०-महेशपुर, थाना-महेशपुर, जिला-पाकुड़ के द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्ता, पाकुड़ के द्वारा उनके न्यायालय में दिनांक-04.11.2020 को दाखिल Pre-emption आवेदन के मुख्य पृष्ठ पर दिनांक-06.11.2020 को पारित आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है। इस वाद में (मोतिउर रहमान, पिता-स्व० पंचतुन शेख (2) सेन्दू शेख, पिता-स्व० गाजीउर रहमान (3) रबीउल इस्लाम, पिता-अनसुर रहमान (4) मो० कुतुबुद्दीन शेख, पिता-अनसुर रहमान एवं (5) वैद्यनाथ कोड़ा, पिता-काचू कोड़ा, सभी का सा०-चापतुड़ा, थाना-महेशपुर, जिला-पाकुड़ को पक्षकार बनाया गया है। मामला संक्षेप में यह है कि अंचल महेशपुर के मौजा चापतुड़ा के जमाबंदी सं०-40 के दाग सं०-02 अन्तर्गत रकवा 00-12-02 धुर जमीन इस वाद के उत्तरवादी सं०-01 से 04 तक के द्वारा निबंधित विक्रय केवाला सं०-2162, दिनांक-19.08.2020 के माध्यम से इस वाद के उत्तरवादी सं०-05 वैद्यनाथ कोड़ा को बेचा गया। उक्त विक्रय की गई भूमि के Pre-emption Right (अग्रक्रयाधिकार) हेतु अरुण कुमार भगत (इस वाद के अपीलकर्ता) द्वारा निम्न न्यायालय में दिनांक-04.11.2020 को आवेदन दाखिल किया गया। दाखिल आवेदन के मुख्य पृष्ठ पर विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा निम्नांकित आदेश पारित किया गया - "Petition is not allowed because Land is belonging to S.T Group" निम्न न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरुद्ध यह अपील दायर किया गया है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत बहस को विस्तारपूर्वक सुना गया। अपीलकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि वे प्रश्नगत भूमि के आड़ी रैयत हैं। निबंधित केवाला सं०-2162/2020 में उन्हें प्रश्नगत भूमि का चौहद्दीदार अंकित किया गया है। प्रश्नगत भूमि के उत्तर दिशा में जमाबंदी सं०-01 है। उक्त जमाबंदी सं०-01 में अपीलकर्ता को रकवा 09-00-00 जमीन की बंदोवस्ती प्राप्त है, जिसकी सम्पुष्टि विज्ञ उपायुक्त, संथाल परगना द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के बंदोवस्ती वाद	

R

1	2
	सं0-378/1975-76 में दिनांक-20.05.1980 को पारित आदेश द्वारा की गई है। BLR(FAS Land) Act 1961 की धारा 16(3) के प्रावधानानुसार उन्हें प्रश्नगत भूमि का अग्रक्रयाधिकार है। निम्न न्यायालय द्वारा तथ्यों की अनदेखी करते हुए Pre-emption आवेदन को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि प्रश्नगत भूमि अनुसूचित जनजाति की भूमि है। निबंधित विक्रय केवाला सं0-2162/2020 के विक्रेता अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं। ऐसे में उक्त भूमि को अनुसूचित जनजाति की भूमि कहना गलत है। प्रश्नगत भूमि विक्रयशील है एवं विक्रयशील भूमि पर SPT Act 1949 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। उनके द्वारा अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिनांक-04.11.2020 को दाखिल मूल आवेदन को अभिलेख खोलकर सुनवाई हेतु निम्न न्यायालय भेजने का अनुरोध किया गया। उत्तरवादीगण का कहना है कि प्रश्नगत भूमि निबंधित विक्रय केवाला सं0-2162/2020 द्वारा बैद्यनाथ कोड़ा (उत्तरवादी सं0-05) को बेच दी गई है। उत्तरवादी सं0-05 अनुसूचित जनजाति के हैं। भूमि के विक्रय के साथ ही बेचने वाले का अधिकार एवं स्वत्व हस्तांतरित होकर खरिदने वाले के पक्ष में चला जाता है। उत्तरवादी सं0-05 द्वारा भूमि का क्रय करने के साथ ही उसपर उनका स्वत्व उत्पन्न हो गया एवं प्रश्नगत भूमि उत्तरवादी सं0-05 की हो गई, जो अनुसूचित जनजाति के हैं। अनुसूचित जनजाति की भूमि का किसी गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को विक्रय करने पर SPT Act 1949 की धारा 20(2) प्रतिबंध लगाती है। धारा 20(3) ऐसे किसी भी हस्तांतरण के निबंधन पर रोक लगाती है। अपीलकर्ता प्रश्नगत भूमि के न तो सह-अंशधारक हैं और न ही बगलगीर रैयत हैं। अंचल अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में भी अपीलकर्ता को प्रश्नगत भूमि का चौहद्दीदार नहीं बताया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश बिल्कुल सही है। उनके द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया। सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रश्नगत भूमि के विक्रेता (उत्तरवादी सं0-01 से 04 तक) गैर अनुसूचित जनजाति के हैं, जबकि क्रेता (उत्तरवादी सं0-05) अनुसूचित जनजाति के हैं। अपीलकर्ता द्वारा उत्तरवादी सं0-05 की जाति के संदर्भ में कोई आपत्ति दर्ज नहीं करायी गयी है। विधि के अनुसार निबंधित विक्रय केवाला के निष्पादन के साथ भूमि का अधिकार एवं स्वत्व हस्तांतरित होकर क्रेता के पक्ष में चला जाता है। प्रश्नगत मामले में क्रेता अनुसूचित जनजाति के हैं, अतः

की कम दिना और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	प्रश्नगत भूमि अनुसूचित जनजाति की भूमि हुई। खतियान में दर्ज विवरण या विक्रेता की जाति के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि क्रय करने के बाद भी भूमि क्रेता की न होकर खतियानी रैयत या विक्रेता की भूमि है। वस्तुतः भूमि का क्रय-विक्रय भूमि के Rights of Raiyat का हस्तांतरण है। यदि अभी सर्वे सेटलमेंट हो तो प्रश्नगत भूमि खतियान में उत्तरवादी सं०-०५ के नाम से दर्ज की जाएगी। अतः प्रश्नगत मामले में SPT Act 1949 की धारा 20(2) आकर्षित होती है। धारा 20(2) निम्नवत् है :- “Notwithstanding any thing to the contrary contained in the record of right no right of an aboriginal raiyat in his holding or any portion thereof which is transferable shall be transfused in any manner to any one but a bone fide cultivating aboriginal raiyat of the pargana or taluka or tappa in which the holding is situated. Provided that nothing in this situated sub-section shall apply to a transfer made by an aboriginal raiyat of his right in his holding or portion thereof in favour of his gardi jamai or ghar jamai” SPT Act 1949 के Schedule B के अनुसार कोड़ा जाति को aboriginal माना गया है। जब उक्त प्रावधान के अनुसार aborihainal raiyat की किसी भूमि को किसी गैर aboriginal raiyat को हस्तांतरित किया ही नहीं जा सकता है तो ऐसे में अपीलकर्ता का प्रश्नगत भूमि पर Pre-emption का दावा उचित नहीं है। उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें। लेखापित एवं संशोधित।  उ.पा.यु.क्त, पाकुड़।  उ.पा.यु.क्त, पाकुड़।	